न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–04 / 2024
प्रविष्टि दिनांकः– 12.02.2024
निर्णय दिनांकः–24.07.2024

::–उनवान–::

1. पप्पू सैनी पुत्र घासी
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र घासी
3. किशन पुत्र घासी
4. टेमा पुत्री घासी
5. प्रेम पुत्री घासी

समस्त निवासीयान भोपत की बावडी, कस्बा टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राजस्थान ।

अपीलांट्स

बनाम

1. बबलू सैनी पुत्र लादू निवासी भोपत की बावडी, कस्बा टोडारायसिंह जिला केकडी राजस्थान ।
2. तहसीलदार टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राजस्थान ।

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0–4605, दिनांक 25.02.2022, तहसीलदार टोडारायसिंह अपील अ० धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं प्रार्थना पत्र अ0 धारा 5 परिसीमा अधिनियम

उपस्थित :

1. श्री हेमराज कानावत, अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. रेस्पो0–अनुपस्थित

::–निर्णय–:: दिनांक 24.07.2024

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी खाता संख्या–1106 में वर्णित खसरा नम्बर–(अजमेर) 3875, 3883, 3887, 3903, 3924 कुल किता 5 कुल रकबा 0.8200 हेक्टेयर, खाता संख्या 1345 में वर्णित खसरा नम्बर 2278, 2279, 2280 कुल किता 3 कुल रकबा 3.2700 हेक्टेयर, खाता संख्या 1398 में वर्णित खसरा नम्बर– 3879, 3880 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खाता संख्या– 1399 मे वर्णित खसरा नम्बर– 1198 / 6720, 1231 / 6848, 1241, 1367 / 6624, 279 / 6623,

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलेक्टर, केकड़ी

3830, 3876, 3881, 3884, 3901, 3904, 3923, 4055 कुल किता 13 कुल रकबा 2.7900 हेक्टेयर, खाता संख्या–1400 मे अंकित खसरा नम्बर– 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678 कुल किता 6 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर, खाता संख्या 1401 में अंकित खसरा नम्बर– 1202 / 6621 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, खाता सख्या 1402 मे अंकित खसरा नम्बर– 3831 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, खाता संख्या 1403 में वर्णित खसरा नम्बर– 1231, 1505, 279 कुल किता 3 कुल 2.77 हेक्टेयर, खाता संख्या – 1404 में वर्णित खसरा नम्बर– 1240 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, खाता संख्या 1405 में वर्णित खसरा नम्बर– 1231 / 6607 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, समस्त भूमियां टोडारायसिंह में स्थित है। उक्त भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेण्ट सं01 की पुश्तैनी आराजीयात है, जो पूर्व मे भूरा की आराजीयात थी, भूरा के तीन संताने घासी, हीरालाल व लादू पैदा हुए। भूरा की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात घासी, हीरालाल व लादू को प्राप्त हुई, हीरालाल लाऔलाद फौत हुआ। इस कारण उक्त आराजीयात हीरालाल की मृत्यु के बाद घासी एंव लादू व उनके वारिसानो को बराबर–बराबर रूप से प्राप्त हुई, किन्तु रेस्पोडेण्ट सं01 ने हीरालाल का विधिक वारिसान बनते हुए तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष गलत व झूठे तथ्य अंकित करते हुए उसके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण सं0– 4605 दिनांक 25.02.2022 को अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया। उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने एंव अपीलांट्स के हितों के विपरित होने से अपीलांट्स की ओर से यह अपील निम्न कारणों के साथ पेश है :–

- यह कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश विधि विधान एवं तथ्यो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

- यह कि अपीलांट्स एंव रेस्पोडेण्ट सं01 एक ही परिवार की संताने है। जिनके परिवार का शजरा निम्न है :–

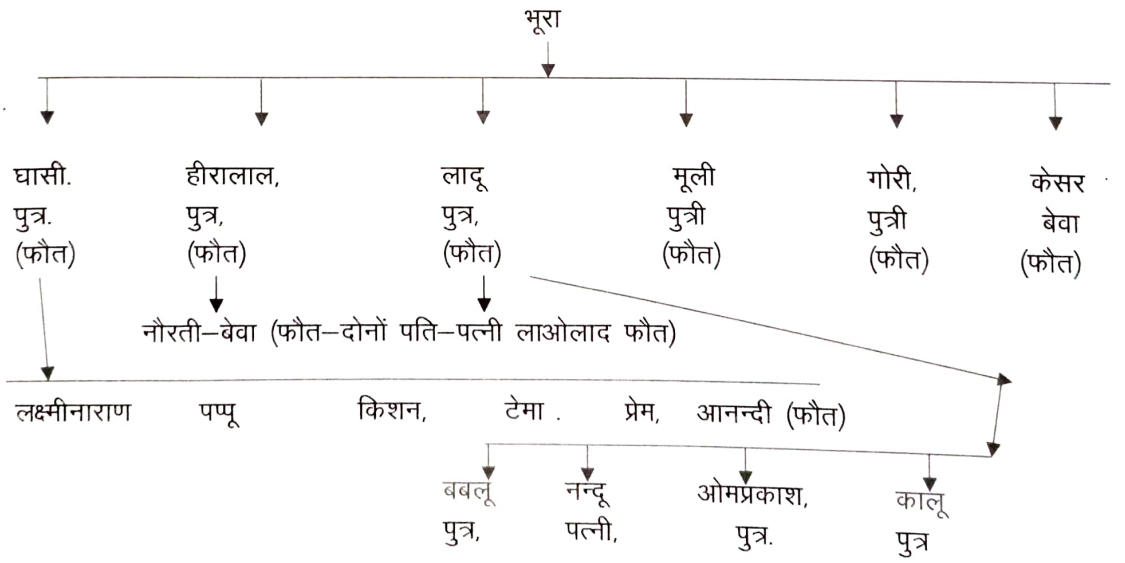

➢ इस प्रकार अपीलांट्स व रेस्पोडेण्ट सं01 के पूर्वज भूरा हुए। भूरा के तीन पुत्र व दो पुत्रिया हुई. तीनो पुत्रो मे से पुत्र हीरालाल व उनकी धर्मपत्नी नौरती के कोई औलाद नही थी, वह लाऔलाद फौत हुए थे। अपीलांट्स भूरा के पुत्र घासी की संताने है तथा रेस्पोडेण्ट सं01 भूरा के पुत्र लादू का पुत्र है। हिन्दू

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप भूरा की आराजीयात मे हीरालाल की मृत्यु लाऔलाद होने के उपरांत घासी व लादू का बराबर–बराबर हक व हिस्सा हुआ और उसी अनुरूप मौके पर अपीलांट्स व लादू के वारिसान मौके पर काबिज, काश्त चले आ रहे है।

- यह कि तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष रेस्पोडेण्ट सं01 द्वारा गलत तथ्ये प्रस्तुत करते हुए अपने आपको हीरालाल का विधिक वारिस बताते हुए नामान्तकरण खोलने हेतु आवेदन पेश कर नामान्तकरण तस्दीक करवाया गया है। उक्त नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी भी प्रकार की सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया हे, ना ही ऐसी कोई सूचना अथवा नोटिस जारी किया गया है। इस कारण भी उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हे।

- यह कि उक्त नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा मौके की सही एंव वास्तविक रिपोर्ट नही मंगवायी गई है और ना ही हीरालाल के विधिक वारिसान होने के सम्बन्ध मे कोई रिपोर्ट ही तलब की गई है। ऐसी स्थिति मे भी नामान्तरण कार्यवाही अपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

- यह कि खातेदार हीरालाल एंव उसकी पत्नी नौरती लाऔलाद फौत हुए है, उनके कोई संतान नही थी । रेस्पोडेण्ट सं01, खातेदार हीरालाल एंव नौरती देवी का विधिक वारिस व उत्तराधिकारी भी नहीं है, ना ही रेस्पोडेण्ट सं01 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रथम अनुसची के तहत विधिक वारिस की श्रेणी मे आता है। उक्त तथ्यो की भी अधिनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा कोई जाँच नहीं कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

- यह कि रेस्पोडेण्ट सं01 लादू एंव नन्दू का जायंदा पुत्र है, वह हीरालाल व नौरती देवी का जायंदा पुत्र नहीं है। नौरती देवी की मृत्यु हीरालाल की मृत्यु से काफी समय पूर्व ही हो चुकी है। हीरालाल व नौरती देवी द्वारा अपने जीवनकाल मे कभी रेस्पोडेण्ट सं01 को गोद नही लिया गया है, ना ही हीरालाल व नौरती देवी द्वारा रेस्पोडेण्ट सं01 को गोद लेकर कोई गोदनामा या अन्य कोई दस्तावेज ही रेस्पोडेण्ट स01 के पक्ष मे निष्पादित किया गया है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज अस्तित्व मे है और ना ही रेस्पोडेण्ट सं01 ने ऐसा कोई दस्तावेज ही अधिनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष पेश किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं01 द्वारा फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेजात के आधार पर गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए हीरालाल के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपने हक मे तस्दीक करवाया है, जो निरस्तनीय है।

- यह कि हीरालाल अपने जीवनकाल तक उपरोक्त आराजीयात मे अपने हिस्से की भूमि पर काबिज, काश्त रहा। हीरालाल की मृत्यु दिनांक 02.12.2021 को हुई है। हीरालाल की मृत्यु के बाद हीरालाल के हिस्से की भूमि के आधे हिस्से पर अपीलांट्स तथा आधे हिस्से पर लादू के विधिक वारिसान अर्थात रेस्पोडेण्ट सं01 व अन्य का कब्जा, काश्त चला आ रहा है और उक्तानुसार ही मौके पर अपीलांट्स व लादू के विधिक वारिसान काबिज, काश्त है, किन्तु रेस्पोडेण्ट सं01 ने राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो से मिलीभगत कर हीरालाल की जमीन को हडपने की नियत से फर्जकारी व कूटरचना करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण अपने हक मे तस्दीक करवाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है और निरस्तनीय है।

- यह कि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी माह अगस्त 2023 मे अपीलांट्स को होने पर उनके द्वारा रेस्पोडेण्ट सं01 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–339 / 2023 पुलिस थाना टोडारायसिंह मे दर्ज

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

करवायी और उसके उपरांत राजस्व रिकार्ड सहित अन्य फौजदारी पत्रावली से दस्तावेजात की नकल दिनांक 25.01.2024 को प्राप्त की, उसके उपरांत अपील पेश करने हेतु टोंक आकर अधिवक्ता नियुक्ति किया और आज विधिक सलाह प्राप्त कर बिना किसी देरी के उक्त अपील पेश कर रहे है, अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नही की है, जो देरी हुई है, वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी को क्षमा करने हेतु अपीलांट पृथक से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर रहा है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं०– 4605, दिनांक 25.02.2022 को अपास्त किया जाकर उपरोक्त आराजीयात मे से हीरालाल के हिस्से की भूमि मे से अपीलांट्स को 1/2 हिस्से का एंव शेष 1/2 हिस्से का नामान्तकरण लादू के विधिक वारिसानो के नाम खोलने की कृपा करें।

➢ प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0–4605, दिनांक 25.02.2022 तहसीलदार टोडारायसिंह धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि–

- यह कि प्रार्थीगण अपीलांट्स ने उक्त उनवानी अपील आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है, जिसमे उसे सफलता की पूर्ण आशा है।

- यह कि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी माह अगस्त 2023 मे अपीलांट्स को होने पर उनके द्वारा रेस्पोडेण्ट सं01 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0–339/2023 पुलिस थाना टोडारायसिंह मे दर्ज करवायी और उसके उपरांत राजस्व रिकार्ड सहित अन्य फौजदारी पत्रावली से दस्तावेजात की नकल दिनांक 25.01.2024 को प्राप्त की, उसके उपरांत अपील पेश करने हेतु टोंक आकर अधिवक्ता नियुक्ति किया और आज विधिक सलाह प्राप्त कर बिना किसी देरी के उक्त अपील पेश कर रहे है, अपील पेश करने मे जानबूझकर कोई देरी नही की है, जो देरी हुई है, वह न्यायहित मे क्षमा किये जाने योग्य है।

  अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अपीलांट को समुचित अवसर प्रदान करे। उक्त प्रकरण में सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान करें।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस तामिल विपक्षीगण की गई। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अपीलाण्ट अधिवक्ता की अपील प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट व रेस्पो सं0 01 पुश्तैनी आराजीयात है, जो पूर्व मे भूरा की आराजीयात थी, भूरा के तीन संताने घासी, हीरालाल व लादू पैदा हुए। भूरा की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात घासी, हीरालाल व लादू को प्राप्त हुई, हीरालाल लाऔलाद फौत हुआ। इस कारण उक्त आराजीयात हीरालाल की मृत्यु के बाद घासी एंव लादू व उनके वारिसानो को बराबर–बराबर रूप से प्राप्त हुई, किन्तु रेस्पोडेण्ट सं01 ने हीरालाल का विधिक वारिसान बनते हुए तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष गलत व झूठे तथ्य अंकित करते हुए उसके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण सं0– 4605 दिनांक 25.02.2022 को अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया। उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने एंव अपीलांट्स के

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

हितों के विपरीत होने से अपीलांट्स की ओर से यह अपील पेश है की अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अपीलांट्स अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं01 के पूर्वज भूरा हुए। भूरा के तीन पुत्र व दो पुत्रिया हुई. तीनो पुत्रो मे से पुत्र हीरालाल व उनकी धर्मपत्नी नौरती के कोई औलाद नही थी, वह लाऔलाद फौत हुए थे। अपीलांट्स भूरा के पुत्र घासी की संताने है तथा रेस्पोडेण्ट सं01 भूरा के पुत्र लादू का पुत्र है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप भूरा की आराजीयात मे हीरालाल की मृत्यु लाऔलाद होने के उपरांत घासी व लादू का बराबर–बराबर हक व हिस्सा हुआ और उसी अनुरूप मौके पर अपीलांट्स व लादू के वारिसान मौके पर काबिज, काश्त चले आ रहे है।

अपीलांट्स अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष रेस्पोडेण्ट सं01 द्वारा गलत तथ्ये प्रस्तुत करते हुए अपने आपको हीरालाल का विधिक वारिस बताते हुए नामान्तकरण खोलने हेतु आवेदन पेश कर नामान्तकरण तस्दीक करवाया गया है। उक्त नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी भी प्रकार की सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया हे, ना ही ऐसी कोई सूचना अथवा नोटिस जारी किया गया है। इस कारण भी उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपीलाण्ट अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा देरी के कारण को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त आधारों पर तथा न्याय हित में मियाद कण्डोन कर प्रार्थना पत्र श्रवणार्थ ग्रहण की जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। बबलू द्वारा दिनांक 31.01.2022 तहसीलदार टोडारायसिंह को नामान्तरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पटवारी हल्का टोडारायसिंह को प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग में अंकित पर्चा मौका दिनांक 07.02.2022 को पटवारी हल्का टोडारायसिंह द्वारा मृतक हीरालाल के वारिसान की मजमेआम में जांच कर हीरालाल के वारिस के रूप में बबलू (पुत्र) व नोरती (पत्नी) को माना जिसमें नौरती की मृत्यु होना बताया। मौका पर्चा पर हल्का पटवारी के साथ अन्य मौत विरान द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। मौका पर्चा के साथ प्रार्थी बबलू द्वारा शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें हीरालाल का वारिस स्वयं को बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी बबलू द्वारा नगरपालिका, टोडारायसिंह के द्वारा बनाया गया सजरा प्रमाण पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र के साथ अन्य दस्तावेजों में हीरालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, नौरती देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं स्वयं का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति पेश की है। प्रार्थी बबलू के मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड में हीरालाल को पिता के रूप बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र में अंकित सजरे अनुसार प्रार्थी बबलू को लादू का पुत्र बताया है और हीरालाल को लाऔलाद फौत होना बताया है। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में पुलिस थाना टोडारायसिंह में एफआइआर नं0 0339 दिनांक 20.09.2023 रेस्पो0 बबलू के विरूद्ध दर्ज किया जाना बताया है। दर्ज एफआइआर अनुसार बबलूराम पुत्र लादू माली निवासी टोडारायसिंह ने फर्जी दस्तावेज एवं शपथ पत्र तैयार करवाकर पटवारी हल्का समक्ष झूठे तथ्य प्रस्तुत कर हीरा का फर्जी तरीके से पुत्र

(दिनेश धाकड)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

बनकर उसके नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजियात को जरिये नामान्तरण 4605 दिनांक 25.02.2022 हीरा के नाम सम्पूर्ण आराजियात अपने नाम करा लिया है। एफआइआर अनुसंधान में अनुसंधान अधिकारी रोडुराम उपनिरीक्षक थानाधिकारी टोडारायसिंह को प्रार्थी बबलू द्वारा दिये गये बयानों में जायन्दा पिता लादूलाल को बताया है तथा होश संभालने से ही हीरालाल के पास रहना बताया है। राशनकार्ड नगरपालिका टोडारायसिंह से वर्ष 1991 का, मतदाता पहचान पत्र वर्ष 2003 और आधार कार्ड वर्ष 2013 का बनाया जाना बताया है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह जाहिर होता है कि हीरालाल का फौती विरासत का नामान्तरण सं0 4605 दिनांक 25.02.2022 जो तहसीलदार टोडारायसिह द्वारा प्रार्थी बबलू द्वारा पेश प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेज शपथ पत्र, सजरा प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड, हीरालाल व नौरतीदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इस नामान्तरण में भूअभिलेख निरीक्षक टोडारायसिंह ने अपनी टिप्पणी में रिपोर्ट पटवारी, मौका पर्चा, सजरा अनुसार अंकन सही होना अंकित किया है। प्रार्थी बबलू द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दिये गये बयानों में स्वयं को लादू का जायन्दा पुत्र बताया है। इस प्रकार हीरालाल के पुत्र के रूप में उसकी फौती विरासत का नामान्तरण दर्ज कराने हेतु गोदनामा विधिक दस्तावेज होना अपेक्षित है। प्रार्थी बबलू द्वारा अपने दस्तावेजों में, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में पिता के रूप में हीरालाल अंकित किये जाने से मात्र इन दस्तावेजो के आधार पर हीरालाल की विरासत का विधिक वारिस साबित नही होता है। अतः तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं0 4605 दिनांक 25.02.2022 काबिले खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0–4605 दिनांक 25.02.2022, को खारिज किया जाता है। तहसीलदार टोडारायसिंह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण के संबंध में अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
पीठासीन अधिकारी
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

अति. जिला कलक्टर, केकड़ी